

होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से
पत्रावली वास्ते... T.D.R. मोंडलिया
दिनांक... 13/2/20 को पेश हो।

13/2/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठाधीन अधिकारी अवकाश में
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से
पत्रावली वास्ते... T.D.R. मोंडलिया
दिनांक... 20/2/20 को पेश हो।

20/2/2020

प्रस 17/2015
2015/00108

पत्रावली पेश हुई लक्ष्मीलक्षार शम्भुपुर काश मोर
एक रेकार्ड रिपोर्ट पत्रावली में पेश हुई जो शामिल
पत्रावली की पत्रावली में रिपोर्ट दि 12-6-17 को
पेश हो चली थी. विपक्षी क्लॉक 1 से 3 मी क्लॉक से
जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया
विपक्षी के जवाब पेश होने पर पत्रावली में दोनों
आप्यवक्ताओं की कहस सुनी गयी।

पक्षी आप्यवक्ता द्वारा शर्तों पर से वाक्य
नल्लों को दोहराने इस विवेक कि पक्षी
सह खातेपर था किन्तु आगामी सेशन जमावकी
लिखाई के दौरान पक्षी सुरेन्द्र सिंह का नाम

लिपिनीय कुटी से सखर से छुट गया और
 इसी दौरान गरीब मूलकण्ड की कार्यवाही
 हो जाने से गरीब रखाई के भी प्रार्थी का
 नाम गरीबों, विपक्षी कार्यकर्ता द्वारा जवाब
 में सुरक्षा कवच किया कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी
 के पत्र में अपने हिससे भी गरीब का एक नाम
 कर दिया जिससे राजस्व जमाकन्दी में नाम
 दृष्टा गया।

विपक्षी क्रमांक 4 गदानीनगर रायपुर के
 रूपक जवाब में उल्लेख किया कि जमाकन्दी
 संवत् 2030 से 2033 के खाल नम्बर 230 पर
 ग्राम रायपुर की आराजी नम्बर 1565 एकका एक
 विष्वा, आ.न 1566 एकका एक विष्वा, आ.न 1566
 एकका की विष्वा और 3 एकका पांच विष्वा
 गरीब खालदार फलेल गिह, सुरेन्दु गिह पिता रमावती-
 लाल गदानीन के नाम दर्ज की, आराजी रेटेशन
 संवत् 2033 से 2036 की लिखाई करते समय खाल
 238 पर केवल फलेल गिह पिता रमावती/लाल
 गदानीन का ही नाम दर्ज कर दिया गया,
 श्री सुरेन्दु गिह का नाम सखर से गरीब
 लिखा जाना पाया गया, और ऊपर के लिखा
 कि प्रार्थी का नाम समाप्त हूँ से दर्ज किया जाना उचित

सुरेन्द्र सिंह 4/5 राजबुजार कोराह

मेने पञ्जावली का कब्रलोकण किया तथा पञ्जावली
 के उपलब्ध रेकार्ड पर, तबसीन्दार रामपुर के जवाब
 पर तथा विपक्षी, से 3 के जवाब पर गठन करने
 से पाया कि प्राचीं नाम रामपुर की आवाजी
 नं. 1565, 1566, 1566 किता 3 रकबा 5 विघा
 जमीन के 1/2 हिस्से का खानेदार था, जिसका नाम
 जमाबन्दी लिखते समय सदन से छूट गया।
 विपक्षी कहता है कि प्राचीं ने अपना हिस्सा त्याग दिया, किन्तु
 इस बाबत कोई रेकार्ड पेश नहीं किया इससे यह
 प्रमाणित है कि प्राचीं का नाम सदन से छूट
 गया, इसके अलावा जमाबन्दी में किसी तरह का
 कोई दाखला नहीं है जिससे यह साबित होता है
 कि प्राचीं के द्वारा कोई कंपनी एक त्याग किया ही
 विपक्षी संख्या 1 से 3 का जवाब विधी विरन्द ही
 उपरोक्त विवरण से है इस विषय पर पंडुच
 कि प्राचीं का प्राचीं पर स्वीकार किया जाना
 न्यायोचित है,

अतः प्राचीं का प्राचीं पर कब्रलोकण पर
 136 L.R Act 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर
 कोदेहा दिया जाता है कि नाम रामपुर की
 सार्विक आ. नं. 1565, 1566, 1566 किता 3 रकबा
 (1/2) हिस्सा जिसके खानेदार गन्धर 1135 रकबा

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र० सं० 17/2015 (2015/00/08)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

आशा देवी पुत्री दलेलारसिंह, प्रेम देवी धर्म पत्नी स्व
दलेलारसिंह (कोठारी) महाजन के कजाघ श्री राजकुमार
पिता दलेलारसिंह, आशादेवी पुत्री दलेलारसिंह, प्रेम देवी
धर्म पत्नी स्व दलेलारसिंह 1/2 श्री सुरेन्द्रसिंह पिता
श्यालीलाल (कोठारी) महाजन 1/2 सा रायपुर के
नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे पालगार्ब
हुकमनामा लक्ष्मीलक्षार रायपुर को जारी किया जावे
पत्रावली के सल सुमा 2 होकर गणव्वर से कम हो।
निर्वाच आज दिनांक 20.2.2020 को खुले न्यायालय

मे राजाध जग



(Signature)
20.2.2020
(शुन्दरलाल काबोडा)
RAS
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (बीलवाडा)

